प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.04.2025

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 03.04.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी आर्यन मलिक पुत्र जगवीर निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर गाजियाबाद को ग्राम अमराला शिव मन्दिर के पास से थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 26.10.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आर्यन मलिक पुत्र जगवीर निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
उम्र करीब 25 वर्ष।

अपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर मारपीट ,गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, हत्या का प्रयास, छेडछाड़ व आयुध अधिनियम से संबंधित 06 अभियोग पंजीकृत हैं तथा थाना भोजपुर पर धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के 02 अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.04.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि उसके दामाद मोईन पुत्र शौकत द्वारा वादी की पुत्री से दहेज में 10 लाख रुपये की मांग करके उसे प्रताडित करना तथा हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 80/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 02.04.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मोईन पुत्र शौकत निवासी चिरोडी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी चंचल हलवाई के पास गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी गिरी मार्केट लोनी में मैडीकल की दुकान है मेरा काम धन्धा ठीक नहीं चल रहा था मुझे पैसों की आवश्यकता थी जिस कारण मैंने अपनी पत्नी से अपने मायके से पैसे लाने के लिये कहा। वह नही मानी तो मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से साथ मारपीट की और घर से भाग गया। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने फाँसी लगा ली है जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है व मेरी सास ने मेरे खिलाफ पुलिस मे शिकायत दर्ज करा दी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र शौकत निवासी चिरोडी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी चंचल हलवाई के पास गिरी मार्केट लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 03 मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 03.04.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रवि शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी गली नम्बर-01 प्रेम विहार, शिव विहार, थाना करावल नगर जिला नोर्थ ईस्ट दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 03 मोबाइल फोन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने अम्बिका विहार करावल नगर दिल्ली से चोरी की थी और 02 मोबाइल फोन मैंने करीब दो महीने पहले नाईपुरा के एक घर से चोरी किये थे तथा 01 मोबाइल को मैंने काफी समय पहले एक घर चोरी किया था, मैंने इनके अलावा भी कई स्थानों से मोबाइल चोरी/छिनैती की घटनायें कारित की हैं। मैंने एक मोबाइल करीब एक महीने पहले शान्ति नगर गेट के सामने दिल्ली सहारनपुर रोड से एक व्यक्ति से छीना था जिसको मैंने मजबूरी व बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली में किसी राह चलते को बेच दिया था जिससे प्राप्त रूपयों को शौक में खर्च कर दिया था।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 03 मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि शर्मा पुत्र मनोहर लाल शर्मा निवासी गली नम्बर-01 प्रेम विहार, शिव विहार, थाना करावल नगर जिला नोर्थ ईस्ट दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना करावल नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग, थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/स्नैचिंग के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। उपरोक्त बरामदगी के सम्बंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।